

डिग्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-29 / 2020

राजेन्द्र पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी चक 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र सहीराम
 2. गुड्डीदेवी पत्नी सहीराम
 3. गायत्री पुत्री जगदीश पत्नी सुरेन्द्र
 4. रूकमणी पुत्री जगदीश पत्नी छोटूराम
- जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ।
जाति जाट साकिन डबलीकंला तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री मदनसिंह बुरडक प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से दर्ज वाके चकनं० 12 डीबीएल के खाता सं० 36 में अंकित कुल 1.329 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 12 डीबीएल के खाता सं० 36 में से प्रतिवादीसं० 1 जगदीश का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल...X...मुक्लिक...X...निल...X...बाबत्...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...अदा करें। वसद्व मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.01.2021 को जारी किया गया।



hiapp
(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
टिब्बी